कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा–डी–तीन–9422/7204-05 दिनांक : 24-8-2020.

सेवा में

1. मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला ।
2. वन मण्डल अधिकारी, कैथल ।

विषय : Diversion of 0.0149 ha. of forest land for access to Rural Grain Godown along Pundri-Dhand road, km. 2-3, L/side, at Village Fatehpur (Pundri), under forest division and District Kaithal, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/32296/2018
संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला का पत्र क्रमांक 871 दिनांक 5–8–2020 ।

——

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियॉ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 2–2 प्रतियों में भेजें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके :–

1. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए चयन की गई सी0ए0 साईट "Fatehpur Escape C-4" पहले ही कई केसों के लिए प्रस्तावित की जा चुकी है जिसके कारण अब इस साईट पर और पौधे लगाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है । इसलिए इस केस के प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए अन्य सी0ए0 साईट का चयन करके तदानुसार उसकी के0एम0एल0 फाईल, डी0जी0पी0एस0 मैप, टोपोशीट व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पर प्रोपर लिंक के तहत अपलोड करके डी0जी0पी0एस0 मैप, टोपोशीट व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।
2. प्रस्ताव के साथ प्राप्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम ठीक नहीं है । इस केस में 16 वृक्ष बाधक हैं जो कटवाए जाने हैं, इसलिए प्रतिपूर्ति पौधारोपण के तहत 16x10=160 पौधे लगाए जाने बनते हैं । कृपया सी0ए0 के तहत 160 पौधे लगाने के लिए संशोधित सी0ए0 स्कीम बनाकर व 160 पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें एवं प्रोपर लिंक के तहत अपलोड करें । प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा की गई वायलेशन के फलस्वरूप पैनल्टी भारत सरकार द्वारा लगाई जानी है । अतः सी0ए0 स्कीम में पैनल्टी की राशि शामिल न की जाए ।

21/08/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।